कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

Email:- direleshaladarshan@gmail.com

क्रमांक :– शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / सी / 19436 / शादअपडेशन / 2016–17 / 370 दिनांक 25/8/18

उपनिदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त।

विषय :– राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन / काउंसलिंग हेतु जारी कलेण्डर अनुसार शालादर्शन पोर्टल अपडेशन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विशिष्ट शासन सचिव प्राशि एवं पंराज (प्राशि) का पत्रांक : प.2(5) / शिक्षा–I / प्राशि / 2003 पार्ट जयपुर दिनांक 21.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) के लेवल 2 गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु रिश्फल कर अपात्र / अनुपस्थित के स्थान पर नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति / पदस्थापन के लिए काउन्सलिंग कलेण्डर जारी किया गया है।

कलेण्डर के बिन्दू संख्या 2 के अनुसार काउन्सलिंग प्रक्रिया आयोजित किये जाने से पूर्व शाला दर्शन पोर्टल अपडेट किया जाना है ताकि संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जा सकें। चूंकि उक्त काउन्सलिंग प्रक्रिया शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्टस् एवं रिक्तियों के आधार पर ही की जानी है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि, पीईईओ एवं बीईईओ द्वारा दिनांक 30.08.2018 तक शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त मॉड्यूल को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करावें। विद्यालयों मे ऑनलाईन कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति से शेष रहे कार्मिकों को अविलम्ब कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति करावें। शालादर्शन पोर्टल अपडेशन के अभाव में काउन्सलिंग प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव / दोहरे पदस्थापन के लिए आपका व्यक्तिशः उतरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा / प्रारं / शालादर्शन / सी / 19436 / शादअपडेशन / 2016–17 / 370 दिनांक 25/8/18

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा समस्त
6. पीईईओ समस्त।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com